न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मावली जिला उदयपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी : कपिल कुमार कोठारी, R.A.S.

पत्रावली संख्या : **07/22 (अपील)**

GCMS No. : 2022/316

अनवान्

1. श्री पुष्करलाल पिता हीरा डांगी निवासी कानपुर तह. गिर्वा।

.............अपीलान्ट्

बनाम

1. पटवारी, पटवार हल्का गुडली तह. मावली।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली तह. मावली।
3. श्रीमती राधीबाई पुत्री कालु पत्नी उंकार डांगी निवासी आमथला तह. सिरोही जिला सिरोही।
4. श्रीमती नाथीबाई पुत्री कालु पत्नी तेजराम डांगी निवासी भल्लो का गुडा, कुराबड।
5. श्रीमती नवाबाई पुत्री कालु डांगी निवासी ओडवाडिया तह. मावली।

......................रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थित–1. श्री विजय आमेटा, अधिवक्ता अपीलान्ट्स।
2. श्री अर्पित पालीवाल, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 3 से 5

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट

अपील विरुद्व निर्णय ग्रा.प. गुडली, बाबत ना. सं. 1148 दि. 22.06.2022

–: : निर्णय : :–

दिनांक : 23.09.2022

1. अपीलाण्ट् द्वारा अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत अपील निर्णय ग्राम पंचायत गुडली बाबत् नामान्तरण संख्या 1148 दिनांक 22.06.2022 के विरूद्ध मय धारा 5 अवधि अधिनियम के तहत् प्रस्तुत की गई। अपील के संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है कि गांव ओडवाडिया पटवार हल्का गुडली तह. मावली की आराजीयात जिसके खाता सं. 204 नया व पुराना 24 की आराजी नम्बर 1147 रकबा 0.9308 हेक्टेयर, 1454 रकबा 0.0809 हेक्टेयर, 1455 रकबा 0.0324 आ.चा. कुआ, 1456 रकबा 0.4128 हेक्टेयर, 1457 रकबा 0.2509 हेक्टेयर, 1458 रकबा 0.0405 हेक्टेयर, 1460 रकबा 0.3642 हेक्टेयर, 1461 रकबा 0.0728 हेक्टेयर, 1462 रकबा 0.5666 हेक्टेयर कुल किता 9 रकबा 2.7519 हेक्टेयर है तथा उक्त वर्णित आराजीयात में राधीबाई का 43/136 हिस्सा, नाथीबाई का 43/136 हिस्सा व नवाबाई का 2/17 दर्ज है व इसी [illegible] ओडवाडिया पटवार हल्का गुडली में खाता संख्या 362 नया व पुराना 25 [illegible] आराजी नम्बर 1697 रकबा 0.5099

Signature Not Verified
Digitally signed by Kapil Kumar Kothari
Date: 2022.10.07 15:28:13 IST
Reason: SelfAttested

हेक्टेयर कुल किता 1 कुल रकबा 0.5099 हेक्टेयर हैं। उक्त वर्णित आराजीयात में नवाबाई का 3/4 हिस्सा दर्ज हैं।

2. यह कि उक्त वर्णित आराजीयात के मूल खातेदार नवाबाई, नाथीबाई व राधीबाई के सम्पूर्ण हिस्से की सार संभाल एवं अन्य तरीके से विक्रय एवं हस्तान्तरण बाबत् एक मुख्तियार नामा आम दिनांक 28.02.2022 को मुझ अपीलान्ट के पक्ष में निष्पादित कर राधीबाई, नवाबाई व नाथीबाई ने उनके सम्पूर्ण हिस्से को विक्रय हस्तान्तरण करने हेतु अधिकृत किया था, जिसके पश्चात् मुझ अपीलान्ट ने मूल खातेदार नवाबाई, नाथीबाई व राधीबाई के समस्त हिस्से को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के माध्यम से दिनांक 17.05.2022 को मुझ अपीलान्ट ने अपने नाम पर पंजीकृत करवाया।

3. यह कि उक्त पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 17.05.2022 को मुझ अपीलान्ट ने नामान्तरकरण हेतु ग्राम पंचायत गुडली में दिनांक 24.05.2022 को प्रस्तुत किया है, जिस पर रेस्पोडेन्ट सं. 1 पटवारी पटवार हल्का गुडली ने दिनांक 06.06.2022 को नामान्तरकरण की पत्रावली पर पंजीकृत विक्रय पत्र के अनुसार दस्तावेजों की जांच करते हुए नामान्तकरण दायर किया तथा भू. अभिलेख क्षेत्र डबोक ने दिनांक 06.06.2022 को पटवारी रिपोर्ट एवं पंजीकृत विक्रय पत्र अनुसार अंकन सही मानते हुए नामान्तरकरण स्वीकृत हेतु दिनांक 22.06.2022 को ग्राम पंचायत गुडली कोरम मिटींग में प्रस्तुत किया, जिस पर ग्राम पंचायत ने दिनांक 22.06.2022 को बिना जांच किये नामान्तरकरण खारिज कर दिया है जिसका कोई स्पष्ट कारण भी ग्राम पंचायत गुडली ने अंकन नहीं किया है, बिना किसी कारण के मेरे विक्रय पत्र का नामान्तरकरण सं. 1148 खारिज कर दिया है, जबकि नामान्तरकरण खारिज करने का कोई स्पष्ट कारण नामान्तकरण की पत्रावली पर बताना चाहिए था बिना किसी कारण के ग्राम पंचायत गुडली द्वारा जो नामान्तरकरण खारिज किया गया है वह ग्राम पंचायत गुडली ने उक्त नामान्तकरण को खारिज करने की गंभीर भूल की है।

4. यह कि विक्रय पत्र दिनांक 17.05.2022 अभी तक अस्तित्व में होकर प्रभावशाली हैं। इस विक्रय पत्र से पूर्व न तो कोई विक्रय पत्र निष्पादित हुआ है और किसी भी न्यायालय से उक्त भूमि पर कोई स्थगन आदेश जारी कर रखा है इस तरह किसी ठोस कारण के बिना ग्राम पंचायत को नामान्तरकरण खारिज करने का कोई अधिकार उत्पन्न नहीं होता है, प्रार्थी अपीलान्ट रजिस्टर्ड विक्रय पत्रधारी होने की वजह से उक्त वादग्रस्त भूमि को अपने नाम दर्ज करवाने का अधिकारी हूं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kapil Kumar Kothari
Date: 2022.10.07 15:28:13 IST
Reason: SelfAttested

5. यह कि मुझ अपीलान्ट ने दिनांक 08.07.2022 को रेस्पोडेन्ट सं. 1 पटवारी पटवार हल्का गुडली से अपने विक्रय पत्र की जानकारी चाही तो रेस्पोडेन्ट सं. 1 ने बताया कि ग्राम पंचायत गुडली ने बिना किसी कारण के मुझ अपीलान्ट का नामान्तरकरण खारिज कर दिया हैं। जिस पर मुझ अपीलान्ट ने ग्राम पंचायत गुडली के सरपंच से भी पता किया परन्तु उन्होने कोई संतोषपद् जवाब नहीं दिया जिस पर मुझ अपीलान्ट ने दिनांक 08.07.22 को नामान्तरकरण की नकले प्राप्त अधिवक्ता से सम्पर्क कर अन्दर अवधि अन्दर मियाद नामान्तकरण अपील आप श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं।

6. यह कि दिनांक 22.06.2022 को ग्राम पंचायत गुडली द्वारा निरस्त किया गया नामान्तकरण संख्या 1148 मेरे हितो के विरूद्व होने से निरस्त होने योग्य हैं।

7. अतः माननीय न्यायालय से निवेदन है कि उक्त अपील स्वीकार की जाकर दिनांक 22.06.2022 को ग्राम पंचायत गुडली द्वारा निरस्त नामान्तकरण संख्या 1148 को स्वीकार फरमा जाकर विक्रय पत्र के आधार पर मेरा नाम उक्त भूमि में खातेदार हैसियत से दर्ज किये जाने की कृपा फरमाई जावें।

8. पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रार्थी श्रीमती राधीबाई, नवाबाई व नाथीबाई द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 जा.दी. का पेश किया जो स्वीकार किया जाकर रेस्पोडेन्ट सं. 3 से 5 के रूप में पक्षकार बनाया गया। रेस्पोडेन्ट सं. 1, 2 राजपेरोकार द्वारा प्रकरण के निस्तारण में कोई आपत्ति जाहिर नही की। प्रकरण में अपीलान्ट्स अधिवक्ता की बहस सुनी गई।

9. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट्स द्वारा अपनी बहस में अपील में अंकित तथ्यो को दोहराया तथा ग्राम पंचायत का आदेश त्रुटि पूर्ण होने से निरस्त कर विक्रय पत्र के आधार पर खातेदार की हैसियत से नाम दर्ज किये जाने का निवेदन किया।

10. हमने विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट्स की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। नामान्तरकरण सं. 1148 दिनांक 22.06.2022 को ग्राम पंचायत गुडली द्वारा पारित किया गया है। अपीलाण्ट्स द्वारा अपील के साथ धारा 5 अवधि अधिनियम का भी प्रस्तुत किया हैं। ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 22.06.2022 को अपील का निस्तारण किया जिसकी नकल दिनांक 08.07.2022 को ली गई। दिनांक 29.07.2022 को अपील न्यायालय में पेश की। अपीलान्ट द्वारा जानकारी में आते ही उक्त अपील अन्दर न्यायालय में प्रस्तुत करना बताया हैं। अतः जानकारी से अपील अन्दर मियाद होने से प्रार्थना पत्र धारा 5 अवधि अधिनियम का

Signature Not Verified
Digitally signed by Kapil Kumar Kothari
Date: 2022.10.07 15:28:13 IST
Reason: SelfAttested

स्वीकार किया जाता है। प्रकरण में अपीलान्ट् द्वारा कथन किया कि अपीलान्ट् द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से दिनांक 24.05.2022 को भूमि क्रय की। जिसके नामान्तरकरण हेतु ग्राम पंचायत को पेश हुआ। ग्राम पंचायत द्वारा बिना कोई आधार बताए नामान्तरकरण को निरस्त कर दिया गया। ग्राम पंचायत के आदेश को निरस्त कर विक्रय पत्र के आधार पर खातेदार की हैसियत से नाम दर्ज किये जाने का निवेदन किया हैं। पत्रावली व नामान्तरकरण के अवलोकन से प्रथम दृष्टया स्पष्ट है कि अपीलान्ट द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर भूमि क्रय की हैं। नामान्तरकरण अधीनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत के समक्ष पेश होने पर ग्राम पंचायत द्वारा ''ग्राम पंचायत गुडली की पाक्षिक बैठक दिनांक 22.06.22 के प्रस्ताव संख्या 2 के तहत् उक्त नामान्तरकरण संख्या 1148 निरस्त (खारिज) किया जाता है'' का अंकन करते हुए नामान्तरकरण को खारिज कर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत द्वारा अपने निर्णय में नामान्तरकरण को खारिज करने का कोई आधार नहीं बताया हैं। ऐसी स्थिति में उक्त निर्णय प्रथम दृष्टया त्रुटि पूर्ण प्रतीत होता हैं। यदि प्रथम दृष्टया माना भी जावे कि उक्त नामान्तरकरण विवादित था तो विवादित नामान्तरकरण को सुनने का क्षेत्राधिकार ग्राम पंचायत को नहीं था, केवल मात्र निरस्त खारिज लिख कर नामान्तरकरण को खारिज करने में ग्राम पंचायत द्वारा त्रुटि की गई हैं। अतः ग्राम पंचायत का उक्त आदेश निरस्त योग्य पाया जाता हैं। अतः उक्त अपील आंशिक स्वीकार योग्य पाई जाती हैं।

—: आदेश :—

परिणामस्वरूप अपील अपीलान्ट आंशिक स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत गुडली द्वारा पारित नामान्तरकरण सं. 1148 दिनांक 22.06.2022 को अपास्त किया जाकर तहसीलदार मावली को प्रतिप्रेषित (रिमाण्ड) किया जाकर आदेशित किया जाता है कि विक्रय पत्र दिनांक 24.05.2022 वर्तमान में अस्तित्व में हो एवं किसी न्यायालय का स्थगन नहीं हो तो विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तरकरण की कार्यवाही करें। उभय पक्षकारान को आदेशित किया जाता है कि वह दिनांक 30.09.2022 को अपने दस्तावेजों के साथ न्यायालय तहसीलदार मावली में उपस्थित रहे। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 23.09.2022 को खुले ईजलास लिखवाया जाकर सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Kapil Kumar Kothari
Date: 2022.10.07 15:28:13 IST
Reason: SelfAttested

(कपिल कुमार कोठारी)
उपखण्ड अधिकारी
मावली